NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/112/2026 दिनांक – 21.08.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान महाप्रबंधक,**
   उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली
   ईमेल – gm@nr.railnet.gov.in
2. **श्रीमान मुख्य सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
   ईमेल – abardhan@ias.nic.in
3. **श्रीमान सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,**
   उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
   ईमेल – vinays.pandey@nic.in

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 31/2026 में रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं, स्वच्छता एवं पेयजल की गुणवत्ता में सामने आई अत्यन्त गंभीर कमियों तथा पेयजल में ई–कोलाई बैक्टीरिया पाए जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक रेलवे स्टेशन का तत्काल संयुक्त भौतिक एवं स्वास्थ्य–सुरक्षा सर्वेक्षण कर पेयजल की जाँच, मूलभूत सुविधाओं का सत्यापन तथा समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक लोकहितकारी संस्थान है, जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही एवं सार्वजनिक संस्थानों में आवश्यक नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़े विषयों को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता रहा है। इसी क्रम में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सीधे जुड़े एक अत्यन्त गंभीर विषय की ओर आपका तत्काल ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 31/2026 (रेलवे), जिसका विषय Passenger Amenities and Sanitation at Non-Suburban Railway Stations in Indian Railways है, में देशभर के 16 रेलवे जोनों के 512 स्टेशनों की जाँच के आधार पर रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं एवं स्वच्छता में व्यापक और लगातार बनी हुई कमियाँ दर्ज की गई हैं। **रिपोर्ट के अनुसार जाँचे गए 512 स्टेशनों में से 458 स्टेशन अर्थात 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशन एक या अधिक न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से वंचित पाए गए, जिनमें पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर एवं संकेतक जैसी बुनियादी सुविधाएँ सम्मिलित हैं।** इसका सीधा अर्थ है कि निरीक्षित स्टेशनों में केवल लगभग 11 प्रतिशत स्टेशन ही सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के मानकों पर पूर्ण पाए गए। प्रकाशित समाचार में भी उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि केवल 54 निरीक्षित स्टेशनों पर सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध पेयजल की सुरक्षा से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पाया कि निर्धारित समयावधि के अनुसार जलापूर्ति प्रणालियों का निरीक्षण नहीं किया गया तथा अवशिष्ट क्लोरीन, जीवाणु एवं रासायनिक परीक्षणों में कमी रही। **पेयजल में कुल कोलीफॉर्म सहित हानिकारक ई–कोलाई बैक्टीरिया भी पाये गये,** जिसके कारण रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता को असंतोषजनक पाया गया। इण्डियन एक्सप्रैस की समाचार रिपोर्ट दिनांक 18/08/2026 के अनुसार विभिन्न स्टेशनों के वाटर कूलर से लिये गये नमूनों में ई–कोलाई बैक्टीरिया पाया गया तथा 512 चयनित स्टेशनों में किसी भी स्टेशन पर Uniform Drinking Water Quality Protocol के सभी निर्धारित मानकों की जाँच नहीं की गई।

यह स्थिति केवल सामान्य यात्री सुविधा की कमी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जीवन–सुरक्षा का प्रश्न है। रेलवे स्टेशनों से प्रतिदिन लाखों नागरिकों के साथ–साथ महिलाएँ, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, अन्य लोक सेवक तथा विभिन्न संवैधानिक एवं सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े व्यक्ति यात्रा करते हैं। ऐसे सार्वजनिक परिवहन केन्द्रों पर यदि पेयजल की शुद्धता तक सुनिश्चित न हो और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में लगभग 89 प्रतिशत निरीक्षित स्टेशनों पर किसी न किसी प्रकार की कमी सामने आए, तो उत्तराखण्ड के स्टेशनों की वास्तविक स्थिति को बिना स्वतंत्र एवं व्यापक जाँच के संतोषजनक मान लेना सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ गंभीर जोखिम होगा।

विशेष रूप से देवभूमि उत्तराखण्ड एक तीर्थ एवं पर्यटन प्रधान राज्य है, जहाँ हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुआँ सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों से स्थानीय नागरिकों के अतिरिक्त देश–विदेश से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री एवं पर्यटक आवागमन करते हैं। अतः राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई इन गंभीर कमियों के बाद राज्य के किसी स्टेशन पर किसी अप्रिय स्वास्थ्य घटना अथवा दूषित पेयजल से बीमारी फैलने की

प्रतीक्षा करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। सावधानी, रोकथाम एवं समयबद्ध जाँच ही इस स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के प्रति उचित संस्थागत प्रतिक्रिया है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड एवं हरिद्वार के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के निष्कर्ष अत्यन्त गंभीर एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं। रिपोर्ट में उत्तराखण्ड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन (NSG-2) तथा लक्सर रेलवे स्टेशन (NSG-5) को विस्तृत अध्ययन हेतु चयनित स्टेशनों में सम्मिलित किया गया था; इतना ही नहीं, CAG ने लक्सर रेलवे स्टेशन को न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं में कमी वाले स्टेशनों की सूची में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है, जबकि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर निर्धारित मानकों के अनुरूप वाटर कूलर की उपलब्धता में कमी विशेष रूप से दर्ज की गई है। अतः रिपोर्ट में उजागर राष्ट्रीय स्तर की गंभीर कमियाँ उत्तराखण्ड के लिए केवल संभावित आशंका नहीं हैं, बल्कि राज्य के चयनित रेलवे स्टेशनों पर भी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की कमी का प्रत्यक्ष अभिलेख उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हरिद्वार जैसे अत्यधिक यात्री–दबाव वाले प्रमुख तीर्थ स्टेशन सहित उत्तराखण्ड के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर पेयजल स्रोतों एवं वाटर कूलरों की ई–कोलाई बैक्टीरिया/कोलीफॉर्म सहित व्यापक वैज्ञानिक जाँच तथा पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म सुविधाओं एवं अन्य सभी न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं का तत्काल भौतिक सत्यापन किया जाना अत्यावश्यक है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उक्त रिपोर्ट में स्वयं यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि निगरानी एवं जवाबदेही की कमियों ने न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं एवं स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को कमजोर किया तथा सभी स्टेशनों पर निर्धारित न्यूनतम सुविधाएँ समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने और पेयजल की व्यापक जाँच निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार करने की अनुशंसा की है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट जनहित में आपसे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ तत्काल सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध करता है :–

a) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित प्रत्येक रेलवे स्टेशन का रेलवे, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल विशेष निरीक्षण कराया जाए तथा पेयजल, शौचालय, मूत्रालय, प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, दिव्यांगजन सुविधाएँ, चिकित्सा सहायता एवं अन्य सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का स्टेशनवार भौतिक सत्यापन किया जाए।

b) प्रत्येक रेलवे स्टेशन के सभी पेयजल स्रोतों, नलों, वाटर कूलरों, जल भंडारण टैंकों एवं यात्रियों को उपलब्ध कराये जा रहे जल से नमूने लेकर वैज्ञानिक प्रयोगशाला से ई–कोलाई बैक्टीरिया, कुल कोलीफॉर्म,

जीवाणु, अवशिष्ट क्लोरीन, रासायनिक एवं अन्य सभी निर्धारित मानकों की व्यापक जाँच कराई जाए; कोई नमूना असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित स्रोत से पेयजल आपूर्ति तत्काल रोककर वैकल्पिक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

c) सर्वेक्षण में पाई गई प्रत्येक कमी के लिए ''स्टेशनवार समयबद्ध सुधारात्मक कार्ययोजना'' निर्धारित की जाए तथा गंभीर स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा संबंधी कमियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर तत्काल दूर किया जाए।

d) राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की ''नियमित एवं आवधिक स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था'' लागू की जाए और परीक्षण की तारीख, परिणाम एवं अगली जाँच की तारीख यात्रियों की जानकारी हेतु स्टेशन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए।

e) इस पत्र पर की गई कार्यवाही, सर्वेक्षण में शामिल सभी स्टेशनों की सूची, स्टेशनवार निरीक्षण निष्कर्ष, जल परीक्षण रिपोर्ट, पाई गई कमियाँ एवं उनके निस्तारण हेतु निर्धारित समयसीमा सहित समेकित कार्यवाही रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराई जाए।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामने आए तथ्य सामान्य प्रशासनिक कमियाँ नहीं बल्कि देश के सबसे व्यापक सार्वजनिक परिवहन तंत्र से जुड़े करोड़ों यात्रियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण यात्रा के अधिकार से संबंधित गंभीर चेतावनी हैं। अतः उत्तराखण्ड के प्रत्येक रेलवे स्टेशन की वास्तविक स्थिति का तत्काल सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी नागरिक, न्यायिक अधिकारी, लोक सेवक, तीर्थयात्री अथवा अन्य यात्री को दूषित पेयजल अथवा न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जोखिम का सामना न करना पड़े। प्रकरण में तत्काल, राज्यव्यापी एवं परिणामपरक कार्यवाही अपेक्षित है।

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

संलग्नक :–

1– भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 31/2026 (रेलवे) की प्रति

2– दिनांक 18.08.2026 को प्रकाशित संबंधित इण्डियन एक्सप्रैस समाचार रिपोर्ट की प्रति